LGBTQIA हेतु ‘कन्वर्जन थेरेपी’ पर प्रतबिंध

प्रलिम्सि के लयि:

ट्रांसजेंडर, NMC, LGBTQIA+, ट्रांसजेंडर व्यक्तयिों (अधकिारों का संरक्षण) नयिम, 2020 और ट्रांसजेंडर व्यक्तयिों (अधकिारों का संरक्षण) अधनियिम, 2019 से संबंधति मुद्दे।

मेन्स के लयि:

LGBTQIA और संबद्ध जोखमिों के लयि कन्वर्ज़न थेरेपी।

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय चकित्सा आयोग (NMC) ने सभी राज्य चकित्सा परषिदों को LGBTQIA+ समुदाय की रूपांतरण चकित्सा या ‘कन्वर्ज़न थेरेपी पर प्रतबिंध लगा दयिा है और इसे **"व्यावसायकि कदाचार (Professional Misconduct)"** कहा है।

- NMC ने मद्रास उच्च न्यायालय के नर्दिेश का पालन करते हुए कहा क**िभारतीय चकित्सा परषिद (व्यावसायकि आचरण, शष्टिाचार और नैतकिता) वनियिम, 2002** के तहत ‘कन्वर्ज़न थेरेपी अवैध है।

LGBTQIA+:

- LGBTQAI+ लेस्बयिन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल तथा अन्य लोगों को संबोधति करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जनिमें सीसजेंडर वषिमलैंगकि "आदर्शों" की अनुपस्थतिि होती है।
    - '+ ' का उपयोग उन सभी लैंगकि पहचानों और यौन अभवनि्यासों को दर्शाने के लयि कयिा जाता है जनिका अक्षर और शब्द अभी तक पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं।
- भारत में, LGBTQIA+ समुदाय में एक वशिष्टि सामाजकि समूह, एक वशिष्टि समुदाय थर्ड जेंडर भी शामलि है।
- उन्हें सांस्कृतकि रूप से या तो "न पुरुष, न ही महलिा" या एक महलिा की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के रूप में परभिाषति कयिा जाता है।
- वर्तमान में उन्हें थर्ड जेंडर भी कहा जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 6 सतिंबर, 2018 को धारा 377[1] को गैर-आपराधकि घोषति कर दयिा, जसिमें समलैंगकि संबंधों को "**अप्राकृतकि अपराध**" कहा गया था।

‘कन्वर्ज़न थेरेप चकित्सा और संबद्ध जोखमि:

- कन्वर्ज़न थेरेपी एक हस्तक्षेप है जसिका उद्देश्य कसिी व्यक्ति की यौन अभवनि्यास या लगि पहचान को बदलना है जसिके लयि मनोवैज्ञानकि उपचार, ड्रग्स, ईवलि सेरेमोनयिल प्रैक्टसि और यहाँ तक कि हिंसा का भी उपयोग कयिा जाता है।
- इसमें उन युवाओं की मूल पहचान को बदलने के प्रयास शामलि हैं जनिकी लगि पहचान उनके लगि शरीर रचना के साथ असंगत है।
- अक्सर, इस मुद्दे से नपिटने में बहुत कम वशिषज्ञता वाले नीम हकीमों द्वारा चकित्सा की जाती है।
- **अमेरकिन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकयिाट्री (AACAP)** के अनुसार कन्वर्ज़न थेरेपी के तहत हस्तक्षेप झूठे आधार पर प्रदान कयिा जाता है कि समलैंगकिता और ववििध लगि पहचान रोगात्मक हैं।
- कन्वर्ज़न थेरेपी मानसकि स्वास्थ्य स्थतियिों को पैदा करती है, जैसे चतिा, तनाव और नशीली दवाओं का उपयोग जो कभी-कभी आत्महत्या का कारण भी बनता है।

मद्रास उच्च न्यायालय के नर्दिेश:

- मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले ने LGBTQIA+ (लेस्बयिन, गे, उभयलगिी, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, अलैंगकि या कसिी अन्य अभवनि्यास के) लोगों के यौन अभवनि्यास को चकित्सकीय रूप से **"ठीक करने" या जबरन बदलने** के कसिी भी प्रयास को प्रतबिंधति कर दयिा है।

- इसने **अधिकारियों से किसी भी रूप या कन्वर्ज़न थेरेपी के तरीके में खुद को शामिल** करने वाले पेशेवरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
- न्यायालय ने **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग** को एक आदेश दिया कि वह **"एक पेशेवर कदाचार के रूप में 'कन्वर्ज़न थेरेपी'** को सूचीबद्ध करके आवश्यक आधिकारिक अधिसूचना जारी करे।
- न्यायालय ने कहा कि समुदाय को **कानून प्रवर्तन एजेंसियों** के समन्वय से ज़िला **विधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
- एजेंसियों को [ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020] और [ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019] का अक्षरशः पालन करने के लिये कहते हुए न्यायालय ने कहा कि समुदाय एवं उसकी ज़रूरतों को समझने के लिये हर संभव प्रयास हेतु संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है।

LGBTQIA+ की सुरक्षा हेतु निर्णय:

- **नाज़ फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2009):**
  - दिल्ली उच्च न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक गतिविधियों को वैध बनाने वाली धारा 377 को रद्द कर दिया।
- **सुरेश कुमार कौशल केस (2013):**
  - उच्च न्यायालय (2009) के पिछले फैसले को यह तर्क देते हुए पलट दिया कि **"यौन अल्पसंख्यकों की दुर्दशा"** को कानून की संवैधानिकता तय करने के लिये तर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- **[न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017):]**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजिता का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के लिये अंतर्निहित है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यह माना गया कि "यौन अभिविन्यास गोपनीयता का एक अनिवार्य गुण है"।
- **[नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ] (वर्ष 2018):**
  - सुरेश कुमार कौशल मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज कर, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया।
- **[शफीन जहाँ बनाम अशोकन के.एम. और अन्य (वर्ष 2018):]**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि साथी या पार्टनर का चयन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और यह साथी किसी भी जेंडर से संबंधित हो सकता है।
- **[ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:]**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिये और उससे जुड़े एवं उसके आनुषंगिक मामलों के लिये यह अधिनियम लाया गया।
- **[समलैंगिक विवाह:]**
  - फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) का विरोध करते हुए कहा कि भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब बच्चा पैदा करने में सक्षम "जैविक पुरुष" और "जैविक महिला" के बीच विवाह हुआ हो।

आगे की राह:

- समुदाय की बेहतर समझ के लिये **स्कूलों और कॉलेजों को पाठ्यक्रम में बदलाव** करना चाहिये।
  - वर्ष 2018 के अंत तक चिकित्सा पुस्तकों ने **समलैंगिकता को "विकृति" के रूप में रेखांकित** किया है। एक अलग यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के लोग प्रायः **भेदभाव, सामाजिक कलंक और बहिष्कार** का सामना करते रहे हैं।
- शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जगहों पर **जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट अनिवार्य व्यवस्था** होनी चाहिये।
- इस विषय पर माता-पिता को भी संवेदनशील होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ **दुर्व्यवहार की शुरुआत सबसे पहले घर** से ही होती है, जिसमें किशोरों को **"कन्वर्ज़न थेरेपी " को चुनने के लिये बाध्य** किया जाता है।
- **सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी** का विकल्प चुनने वाले वयस्कों को **ऑपरेशन से पहले और बाद में थेरेपी जैसे उचित मार्गदर्शन** की आवश्यकता होती है; जो की एक सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिये अवहनीय भी हो सकती है।

[स्रोत: द हिंदू]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ban-on-conversion-therapy-for-the-lgbtqia